कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बक्सर।

अरविन्द कुमार,
उप विकास आयुक्त –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, बक्सर।
Telephone (o)-06183-222097
E-Mail-ddc-buxar-bih@nic.in

पत्रांक 1181 / अभि0
दिनांक 26 / 8 /**2020**

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
बक्सर।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
बक्सर जिला।

विषयः– गैर योजना बजट शीर्ष **-2515-** अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम **-00-** सामुदायिक विकास **-001-** प्रखण्ड स्थापना (विपत्र कोड– **42-2515-00-001-0010** के अन्तर्गत प्रखण्ड स्थापना की विभिन्न इकाईयों में वित्तीय वर्ष **2020-21** में व्यय हेतु निधि का उपावंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Comprehensive Financial Management System, Govt. of Bihar से विभिन्न इकाईयों में आवंटन आई0डी0 के माध्यम से बजट शीर्ष 2515 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष **2020-21** में व्यय हेतु बक्सर जिला को **26403300/-** (दो करोड़ चौसठ लाख तीन हजार तीन सौ रू0) मात्र आवंटित की गई है।

अतः उपरोक्त आवंटन **26403300/-** (दो करोड़ चौसठ लाख तीन हजार तीन सौ रू0) मात्र को निम्नलिखित शर्तों के साथ संलग्न विवरणी के अनुसार उपावंटित किया जाता है।

यह आवंटन वित्त विभागीय पत्रांक **2561** दिनांक **17.04.1998** एवं पत्रांक 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

2) आवंटित राशि का व्यय गैर योजना बजट शीर्ष **2515** – अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम **-00-** सामुदायिक विकास **-001-** प्रखण्ड स्थापना (विपत्र कोड– **42-2515-00-001-0010**) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष **2020-21** के लिए संबंधित विषय शीर्ष (इकाईयों) में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3) **माननीय न्यायालय से संबंधित आदेश के कार्यान्वयन में सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर आवंटित राशि का व्यय किया जाय। तदोपरान्त नियमित वेतन का भुगतान पर व्यय किया जाय और राशि बचती हो तो बकाया वेतनादि का भुगतान किया जाय। न्यायालय संबंधी आदेश के कार्यान्वयन में शिथिलता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।**

4) **किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय। तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।**

5) वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों एवं समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके। इस आवंटन के विरूद्ध वास्तविक व्यय का महालेखाकार कार्यालय में नियमित रूप से मिलान किया जाय ताकि विभागीय आंकड़ों एवं महालेखाकार के आंकड़ों में भिन्नता न हो।

6) प्रखण्ड स्थापना को छोड़ कर अन्य किसी भी स्थापना अर्थात जिला/ नजारत / अनुमण्डल स्थापना के लिए इस शीर्ष में आवंटित राशि का उपावंटन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय और आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जॉच पड़ताल के बाद ही की जाय। यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7) आवंटित राशि से किसी अवैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य भत्ते या मजदूरी का भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।

8) इस शीर्ष का जिला स्तर पर समेकित व्यय विवरणी, टी.भी. नंबर एवं तिथि सहित प्रत्येक अगले माह की **10** तारीख तक अनिवार्य रूप से महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त विभागीय (बजट शाखा) एवं ग्रामीण विकास विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय एवं अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित किया जाय।

अनुलग्नकः– यथोपरि।

विश्वासभाजन

Sd/-

उप विकास आयुक्त,
बक्सर।

ज्ञापांक 1181 /अभि0, दिनांक 26 / 8 /**2020**

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, बक्सर को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि उपावंटन की प्रति जिला वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः– वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, बक्सर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

उप विकास आयुक्त,
बक्सर।

। वर्ष 2020–21 गैर योजना बजट शीर्ष 2515 विपत्र कोड **42-2515-00-001-0010** के अंतर्गत प्रखंड स्थापना के विभिन्न इकाईयों में व्यय हेतु प्राप्त राशि का उपावंटन सूची :–

ण्ड नाम	01 01 वेतन	01 03 जीवन यापन भत्ता	01 04 मकान किराया भत्ता	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चिकित्सा भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	योग (3+4+5+6+7+8)	11 01 यात्रा भत्ता	13 01 कार्यालय व्यय	13 02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13 03 दूरभाष	13 04 विद्युत	28 02 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	योग (10+11+12+13+14+15)	वर्तमान में आवंटि राशि (9+16)	पूर्व में आवंटि राशि	कुल योग्य
:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
सर	1996500	484000	159720	31460	50820	7139	2729639	2178	30250	36300	726	14520	250000	333974	3063613	3031562	6095175
पुर	1996500	484000	159720	31460	50820	7139	2729639	1980	27500	33000	660	13200	410000	486340	3215979	3040637	6256616
ढ़ी	1996500	484000	159720	31460	50820	7139	2729639	1980	27500	33000	660	13200	10000	86340	2815979	2771126	5587105
सा	1452000	352000	116160	22880	36960	5192	1985192	1782	24750	29700	594	11880	10000	78706	2063898	2241179	4305077
गँव	1815000	440000	145200	28600	46200	6490	2481490	2178	30250	36300	726	14520	10000	93974	2575464	2495690	5071154
नगर	1815000	440000	145200	28600	46200	6490	2481490	1980	27500	33000	660	13200	10000	86340	2567830	2510690	5078520
पुर	1815000	440000	145200	28600	46200	6490	2481490	1980	27500	33000	660	13200	10000	86340	2567830	2771126	5338956
री	1815000	440000	145200	28600	46200	6490	2481490	1980	27500	33000	660	13200	5000	81340	2562830	2515690	5078520
ाई	1270500	308000	101640	20020	32340	4543	1737043	1386	19250	23100	462	9240	5000	58438	1795481	1911649	3707130
ठ	1270500	308000	101640	20020	32340	4543	1737043	1386	19250	23100	462	9240	5000	58438	1795481	2086577	3882058
ही	907500	220000	72600	14300	23100	3245	1240745	990	13750	16500	330	6600	100000	138170	1378915	1756630	3135545
ा सस त्त, ार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1041744	1041744
	18150000	**4400000**	**1452000**	**286000**	**462000**	**64900**	**24814900**	**19800**	**275000**	**330000**	**6600**	**132000**	**825000**	1588400	**26403300**	**28174300**	**54577600**

उप विकास आयुक्त,
बक्सर।